समाहरणालय मधेपुरा

(जिला प्रोग्राम शाखा)

–: आदेश :–

प्रबंध निदेशक महिला विकास निगम बिहार, पटना के पत्रांक 1105 दिनांक 10.10.13 के आलोक में महिला हेल्पलाईन के संचालन हेतु निर्गत संशोधित मार्गदर्शिका के आलोक में मधेपुरा जिला अन्तर्गत महिला हेल्पलाईन के विभिन्न पदो के लिए विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का दिनांक 09.08.14 को साक्षात्कार के माध्यम से रिक्त पद के विरूद्ध कर्मियों का चयन किया गया। चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में चयनित कर्मियों को उनके नाम के सामने अंकित पद एवं मानदेय पर अनुबंध के आधार पर नियोजित किया जाता है :-

कमांक	चयनित अभ्यर्थि का नाम एवं पता	पद का नाम	मनदेय प्रति माह	पदस्थापित कार्यालय	अभियुक्ति
1	प्रियंका कुमारी, पिता- अवधेश मंडल, सबौर भागलपुर	परियोजना प्रबंधक	20000/ (बीस हजार) रू0 मात्र	महिला हेल्पलाईन मधेपुरा	
2	(1) शालनी कुमारी, पति- मनोज कुमार चौधरी, रानी पथ वार्ड नं0-08, सहरसा।	परामर्शी	9000/ (नौ हजार) रू0 मात्र	महिला हेल्पलाईन मधेपुरा	
3	(1) जयप्रकाश राम, पिता- महावीर राम, बीड़ी रणपाल, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा। (2) किरण कुमारी, पति- अखिलेश कुमार, आदर्श नगर वार्ड नं0-08 मधेपुरा। (3) इन्दु कुमारी, पति- राजेन्द्र कुमार सिंह, गौतम नगर, सहरसा।	अधिवक्ता	2000/ (दो हजार) रू0 मात्र	महिला हेल्पलाईन मधेपुरा	
4	दीपक कुमार मल्लिक, पिता- राजेन्द्र मल्लिक, रेलवे कॉलोनी, माल गुदाम रोड, मधेपुरा।	अनुसेवक	5000/ (पाँच हजार) रू0 मात्र	महिला हेल्पलाईन मधेपुरा	

नियोजन निम्नलिखित सेवा-शर्तो के आधीन की जाती है :-

1. चयनित अभ्यर्थी पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।
2. अभ्यर्थी का नियोजन एक वर्ष के लिए किया जा रहा है। पुनः कार्य मूल्यांकण के आधार पर अगले एक वर्ष के लिए अवधि विस्तार किया जायेगा।
3. यह नियोजन संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह के पूर्व सूचना दे कर समाप्त किया जा सकेगा।
4. अपने कर्त्तव्यों के संतोषप्रद निर्वहन नहीं किए जाने, अनियमितता बरते जाने, अनाधिकृत अनुपस्थित रहने, अपराधिक घटना में शामिल होने अथवा एकरारनामों की शर्त्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में आपको अनुबंध मुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी और वित्तीय अनियमितता/गवन किये जाने पर Prevention of Corruption Act के तहत चयन रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

5. योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र की विश्वसनीयता की जाँच संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराई जायेगी। प्रमाण–पत्र जाली पाये जाने की स्थिति में चयन निरस्त करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
6. परियोजना अन्तर्गत उपबंध के अनुसार कर्मियों को समेकित पारिश्रमिक देय होगा।
7. कर्मी इसके अतिरिक्त कोई अन्य सुविधाओं जैसे – महँगाई भत्ता, गृह भत्ता, बीमा, पेंशन इत्यादि का हकदार नहीं होगा।
8. कर्मियों को निम्न अवकाश उपलब्ध होगा –

(!) आकस्मिक अवकाश – 12 दिन प्रति वर्ष, सामानुपातिक रीति से।

(!!) अर्जित अवकाश – कार्य पर बिताए दिनों का 1/15। अर्जित अवकाश न तो आगामी वित्तीय वर्ष में अग्रसारित होगा और न ही उसका समायोजन किया जाएगा।

(!!!) मातृत्व अवकाश – सभी विवाहित महिलाएँ (18 वर्ष से अधिक) मातृत्व अवकाश के लिए योग्य हैं जिनका कार्यकाल 6 माह हो चुका है और जिन्होंने इस आशय का चिकित्सीय प्रमाण पत्र दिया है। अवकाश की अवधि प्रारंभ के तीन माह या प्रसव के परवर्ती 6 सप्ताह, इनमें से जो पूर्व हो। यह अवकाश मानदेय सहित होगा एवं दो अवसरों तक सीमित होगा। मातृत्व अवकाश हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के माध्यम से जिला पदाधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

9. पदावधि के दौरान, जिला अंतर्गत या कार्यक्रम हेतु जब भी आवश्यकता होगी, गहन यात्राएँ करनी होगी। यात्रा के दौरान आपके भत्ते (टी. ए. एवं डी. ए.) जिला प्रशासन द्वारा तय नियमों के अनुसार किया जाएगा जो बजट के उपबंधों के आधार पर होगा जिसमें 2–4 दिनों के लिए क्षेत्र भ्रमण/वाद संबंधी भ्रमण हेतु भाड़ा वाहन भी सम्मिलित है।
10. बिना अग्रिम सूचना या अवकाश स्वीकृति के लगातार 7 दिनों तक अनुपस्थित होने की स्थिति में जिला पदाधिकारी/महिला विकास निगम द्वारा अपको बिना नोटिस दिए आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।
11. संविदा की अवधि के दौरान कोई भी कर्मी अन्यत्र अंशकालिक या पूर्णकालिक कार्य योगदान नहीं करेगा अथवा कोई व्यवसाय नहीं करेगा
12. आपके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहण के दौरान आपके किसी कर्म/कार्य अथवा चूक के कारण हुई हानि या क्षति की भरपाई/वसूली का अधिकार जिला पदाधिकारी या महिला विकास निगम को होगा।
13. परियोजना कर्मी वेतन का हकदार नहीं होगा यदि वह उपेक्षा/लापरवाही, इंकार, अस्वीकार या अन्य कारण प्रकट करता है या कर्तव्य को करने में अक्षम होता है। जिला पदाधिकारी/ महिला विकास निगम वेतन पर रोक लगा सकता है एवं आगे इस प्रकार की उपेक्षा या लापरवाही या उपर्युक्त अक्षमता की स्थिति में बिना किसी सूचना के या अग्रिम भुगतान करते हुए तत्काल आपकी सेवा निरस्त कर सकता है।
14. संविदा कार्यकाल के दौरान कर्मियों द्वारा अर्जित या उपलब्ध कोई सूचना या जानकारी जो संस्था के हित में हो, का रहस्योद्घाटन संविदा कार्यकाल या उसके बाद किसी भी समय कर्मियों द्वारा नहीं किया जाएगा।

ह0/–

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक..1245-2./दिनांक..04/..09../2014

प्रतिलिपिः– प्रबन्ध निदेशक, महिला विकास निगम बिहार, पटना को सूच

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– एन0आई0सी0 मधेपुरा के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

04/09/14

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।